उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–54/2022–23

सुनील टुडू एवं अन्य

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 1/9/23

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–03/2020–21 के आदेश दिनांक–19.12.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बरगच्छा हरियारी नं0–51, जमाबंदी सं0–50 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परहू मरण्डी वो चेतन मरण्डी के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी गत जमाबंदी रैयत परहू मरण्डी के उत्तराधिकारी है। चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर सिविल न्यायालय के शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तरवादी के पक्ष में हक एवं अधिकार का घोषणा किया है। इसलिए निम्न न्यायालय के पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अपील आवेदन को प्रविष्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0–686 दिनांक–10.04.1990 के आधार पर आवेदकगण के हिस्से की जमीन पर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु आदेश पारित किया गया है। चूँकि मामला स्वत्व से संबंधित प्रतीत होता है एवं स्वत्व के संबंध में इस स्तर से निर्णय देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, 01/09/23
गोड्डा।

उपायुक्त, 01/09/23
गोड्डा।

RMA No. 54-2022-23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 13:25:08 +05:30
Location: 192.168.1.38